उत्तर प्रदेश शासन

खेल अनुभाग

संख्या- 86/1353/बयालिस-2015-16(विविध)/2009टी0सी

लखनऊ : दिनांक : 28 अक्टूबर, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

<u>(संशोधन)</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-287/दस-59(एम)/2008, दिनांक 16 मार्च, 2010 के द्वारा वेतनमान 6500-10500 के लिए वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेडवेतन रू0 4600/- दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था है। अत: उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी लखनऊ के अधीन संचालित स्पोर्टस कालेजों के विभिन्न श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन की स्वीकृति विषयक खेल अनुभाग के शासनादेश संख्या- 286/बयालिस-2010-16(विविध)/2009, दिनांक 16 मार्च, 2010 जिसमें खेल अध्यापक, शिक्षा अध्यापक के जिन पदों को पूर्व में वेतनमान 6500-10500 अनुमन्य था, के लिए वेतन बैण्ड- 2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेडवेतन रू0 4200/- अनुमन्य किया गया है, को संशोधित करते हुए वेतनमान रू0 6500-10500 के लिए वेतन बैण्ड- 2, रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4200 के स्थान पर वेतन बैण्ड- 2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4600/- अनुमन्य किया जाता है। खेल अनुभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2010 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3- उपरोक्तानुसार संशोधित वेतन बैण्ड/वेतनमान में सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का वेतन निर्धारण एवं तदनुसार निर्धारित वेतन के फलस्वरूप देय अवशेष, यदि कोई हो, का भुगतान शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों की व्यवस्था अनुसार किया जायेगा।

4- उपरोक्तानुसार वेतन बैण्ड/वेतनमान में संशोधन के फलस्वरूप प्रभावित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

5- उक्त शासनादेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5-1108/दस 2015, दिनांक 30 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

डा0 अनिता भटनागर जैन

प्रमुख सचिव।

.....2

संख्या- 86/1353(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, लखनऊ/गोरखपुर।

3- सचिव, स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ ।

4- परीक्षक स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

5- वित्त ई- 11 अनुभाग/वित्त वेतन आयोग- 2

6- निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

7- वित्त ई- 5/वित्त वेतन आयोग अनुभाग- 2

8- सम्बन्धित पत्रावली।

9- कम्प्यूटर प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)

अनु सचिव।